# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्र. /2016

1. बलुवा उर्फ बल्लू केवट पुत्र श्री गुरूमन केवट,
2. रामप्रसाद केवट पुत्र श्री खुन्नी केवट,
3. करन्जू केवट पुत्र श्री दीवाली केवट,

समस्त निवासीगण– पुनौल खास तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--आवेदकगण

विरूद्ध

1. श्रीमती संगीता राय पत्नी श्री राजकुमार राय,
2. कृपा पुत्र श्री गुरूमन केवट,
3. किशोरी पुत्र श्री गुरूमन केवट, समस्त निवासीगण– पुनौल खास तह. जतारा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.)

--अनावेदकगण

राजस्व निरीक्षक दिगौड़ा द्वारा प्रकरण क्रमांक 24 /अ–12/14–15 में पारित आदेश दिनांक 15/06/2015, के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण

माननीय महोदय,

आवेदकगण का पुनरीक्षण निम्नानुसार प्रस्तुत है ।

1. यहकि, खसरा क्रमांक 472/1, 455/3 रकबा 1.193 हे. स्थित ग्राम पुनौल खास में आवेदकगण भूमि स्वामी एवं मौके पर आधिपत्यधारी है।

2. यहकि, उपर्युक्त भूमियों के खसरा में बंटाकित है किन्तु नकशा में बंटाकित नहीं थे। अनावेदक द्वारा सर्वे क्रमांक 472/2, 455/1 एवं 728/5 के सीमांकन हेतु तहसील न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक को सीमांकन हेतु आवेदन किया गया। राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदकगण को किसी प्रकार की सूचना तथा सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पटवारी द्वारा अवैध रूप से किये गये सीमांकन प्रतिवेदन पर से दिनांक 15/06/2015 को सीमांकन स्वीकृत किया गया जो नितांत अवैध अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

# न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण क्रमांक** निगरानी-3050-एक/2016 जिला टीकमगढ़ बलुवा विरूद्ध संगीता

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 06-03-2019 | 1. प्रकरण प्रस्तुत ।<br>2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।<br>3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक दिगौड़ा के प्रकरण क्रमांक 24/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 15-06-2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।<br>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।<br>5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी दिगौड़ा को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 03-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी दिगौड़ा के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।<br><br>(आर.के. जैन)<br>सदस्य<br>6.3.2019 | |